

प्रदेश सरकार चीनी उद्योग अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या
सी०सी०/18-2-71-88, दिनांक 1-7-92 द्वारा कृत्रिम संगोपन विधे

आरक्षित कृत्रिम रेगुलेशन, 1989 के साथ परिचित द्वितीय संगोपन 1992
के नियम 12.111 के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था है :

12-111 तंत्र के अधीन तंत्र 'क', 'ख' और 'ग' के पटों पर नियुक्तियां
निम्न प्रकार से की जायेंगी -

- 1क। सीपी भेरी द्वारा, या
- 1ख। विभागीय परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से या
ऐसी अन्य रीति से जिसे प्रबन्ध निदेशक समय-समय पर
अनुमोदित करें, कार्यकारियों में से पदाभ्यर्था द्वारा,
- 1ग। प्रतिनियुक्ति या तैनाती के आधार पर सेवागोचर द्वारा,
- 1घ। किसी अन्य रीति से जिसे प्राधिकारी अनुमोदित करें।

उपरोक्त विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये जाते

1। तहकारी चीनी मिलों तथा यू०पी०ओ०आपरेटिव शुगर फेडरेशन
फेडरेशन लि० लखनऊ में प्रधान प्रबन्धकों के पटों पर तैनाती निम्न
शर्तों से की जायः

- (क) सीपी भेरी द्वारा,
- 1क। यू०पी०ओ० शुगर फेडरेशन के कर्मियों द्वारा।
- 1ग। प्रतिनियुक्ति द्वारा। प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु उ०प्र०
सिक्किन कृत्रिम । प्रशासकीय शाखा 1, पी. सी, एस. संवर्ग
के अधिकारी, गन्ना विकास विभाग तथा राज्य सरकार के
अन्य विभागों से भी अनुभव और योग्यता के आधार पर
प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाय।

2। प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की वर्तमान संख्या ध्यावत
रही जाय।

3। सीधे तहकारी को यह अधिकार होगा कि वह समय-समय पर
संस्थागत रूप से देखते हुए समीक्षा करने के पश्चात् पी०सी०एच०

~~संख्या के अधीन प्रबन्धकों की संख्या में परिवर्तन कर सकेंगे।~~

यदि तहकारी चीनी मिलों तथा उनकी शीर्षस्थ संस्था यू०पी०
ओ०आपरेटिव शुगर फेडरेशन में राज्य सरकार को बहुत

अधिक पूंजी विनियोजित हैं अतः राज्य सरकार के हितों की रक्षा में तथा व्यापक जनहित/लोकहित में यह आदेश पारित किये जाते हैं।

डी०के०मिस्तल,
प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं
गन्ना विकास विभाग/प्राधिकारी
सहकारी चीनी मिलें एवं संघ ।

संख्या- ५७५ (1) १९७०/१८-२१५ तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिभिरि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, ३०५०सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ।
- 2- सचिव, नियुक्ति विभाग, ३०५०शाहन ।
- 3- समस्त सहकारी चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धक ।
- 4- गन्ना आयुक्त/निबन्धक, सहकारीचीनी मिलें, ३०५०, लखनऊ ।

जाडा से,

डी०के०मिस्तल ।
प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं
गन्ना विकास विभाग/प्राधिकारी,
सहकारी चीनी मिलें एवं संघ ।

उत्तर प्रदेश सरकार
चीनी उद्योग अनुभाग-2

संख्या - एतसी/18-2-95, 71/88

तारीख : दिनांक 31 जुलाई, 95

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश हाथारण गंड अधिनियम, 1904 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1904 की धारा 21 के तहत पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन 1966 की धारा 122 की उपधारा 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उक्त धारा 122 की उपधारा 11 के अधीन अधिसूचना संख्या प्र.ओ. 40212/12-सी-1-76, दिनांक 6 अगस्त, 1977 में गठित प्राधिकारी स्तर द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, 1988 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा
तृतीय संशोधन विनियमावली, 1995

संक्षिप्त नाम और
शारम्भ -

- 1-11 यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा तृतीय संशोधन विनियमावली, 1995 कहो जाएगी।
12 यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 11, 12
और 13 का
प्रतिस्थापन -

- 2- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1988 में, निम्नलिखित उक्त विनियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 11, 12, और 13 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिये गये विनियम रख दिये जायें, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

वर्तमान विनियम

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अधीन पदों का हूज्जत करने की शक्ति प्राधिकारी में विहित होगी। प्राधिकारी समय-समय पर संघ की सेवा में प्रत्येक समूह के पदों को संख्या आधारित करेगा।

स्तम्भ-2

स्तर द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अधीन पदों का हूज्जत और पदों के वेतनमान के निर्धारण की शक्ति प्राधिकारी में विहित होगी। प्राधिकारी समय-समय पर संघ की सेवा में प्रत्येक समूह के पदों को संख्या आधारित करेगा।

पदों का हूज्जत
विनियम-11

वर्तमान विनियम

- 11। तंत्र के अधीन समूह "क", "घ" और "ग" के पदों पर नियुक्तियाँ निम्न प्रकार से की जाएँगी-
- 1क। सीधी भर्ती द्वारा; या
- 1ख। विभागीय परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जिसे प्रबन्ध निदेशक समय-समय पर अध्यापित करें, कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ;
- 1ग। प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर सेवायोजन द्वारा;
- 1घ। किसी अन्य स्रोत से जिसे प्राधिकारी अनुमोदित करें।
- 12। समूह "क" के लम्बी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएँगे।

विनियम 13
चयन समिति

- 11। तंत्र के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए एक चयन समिति होगी।
- 12। समूह "क", "घ" और "ग" के पदों पर अभ्यर्थियों के चयन के लिये समिति में निम्न-लिखित सदस्य होंगे -
- 1क। प्रबन्ध निदेशक - अध्यक्ष
- 1ख। प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विशेषज्ञ सदस्य

सद्व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

- 11। तंत्र के अधीन समूह "क", "घ" और "ग" के पदों पर नियुक्तियाँ निम्न प्रकार से की जाएँगी :-
- 1क। सीधी भर्ती द्वारा ; या
- 1ख। विभागीय परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जिसे प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अध्यापित किया जाय, कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा; या
- 1ग। प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर सेवायोजन द्वारा;
- 12। समस्त समूह "घ" के पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।
- 11। तंत्र के अधीन विभिन्न समूहों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिये पृथक-पृथक चयन समितियाँ होंगी।
- 12। समूह "क" के पदों के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-
- 1क। शासन के सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग - अध्यक्ष
- 1ख। प्रबन्ध निदेशक - सदस्य
- 1ग। शासन के सचिव, सार्वजनिक उद्यम, विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का न हो - सदस्य
- 1घ। प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो से अनधिक व्यक्ति जो उस विषय के, जिसके सम्बन्ध में चयन किया जाना हो, विशेषज्ञ हों - सदस्य

15.। यदि शब्द 14। है 18। में निर्दिष्ट व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के न हों तो प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक जाति/जनजाति या वर्ग का, जिसका प्रतिनिधित्व न हो, ऐसे अधिकारियों में से, जो कम से कम उस पद से, जिसके लिए चयन समिति का गठन किया जाना हो, एक वेतनमान उच्च के हों, एक-एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

परन्तु यह कि यदि नाम निर्देशन के लिये पात्र अधिकारी उपलब्ध न हों तो प्राधिकारी किसी ऐसे उपयुक्त अधिकारी को जिसे वह उचित समझे, नाम निर्दिष्ट कर सकता है।

13। समूह 'घ' के पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे प्रबन्धनिदेशक द्वारा प्राधिकृत किया जाय।

13। समूह 'घ' के पदों के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

क। प्रबन्ध निदेशक - अध्यक्ष

ख। प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट

संघ का संयुक्त प्रबन्ध निदेशक -

-- सदस्य

ग। प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो से अधिक व्यक्ति जो उस विषय के विशेषज्ञ हों जिनके संबंध में चयन किया जाना है - सदस्य

14। यदि शब्द 13। है 17। में निर्दिष्ट व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के न हों तो प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक जाति/जनजाति या वर्ग का, जिसका प्रतिनिधित्व न हो, ऐसे अधिकारियों में से, जो कम से कम उस पद से, जिसके लिये चयन समिति का गठन किया जाना हो, कम से कम एक उच्चतर वेतनमान का हो, नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

15। समूह "ग" के पदों के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

क। संप या संपुक्त प्रबंध निदेशक - अध्यक्ष

ख। प्रबंध निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट

समूह "ग" या उसके उच्च पद के दो अधिकारी - सदस्य

ग। यदि खंड क। और ख। में निर्दिष्ट

व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के न हों तो

प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक जाति/जनजाति या वर्ग का, जितका प्रतिनिधित्व न हो, ऐसे अधिकारियों में से जो

कम से कम उत पद से, जितने लिये चयन समिति का गठन किया जाना, एक वेतन

मान से कम से कम एक उच्चतर वेतनमान, के हों, नाम निर्दिष्ट लिये जायें।

3- उक्त विनियमावली में, विनियम 19 में, उप विनियम 15। के पश्चात, निम्नलिखित उपविनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात :-

" 16। समूह "क" और समूह "उ" के पद धारक कर्मचारियों को सेवाएँ समाप्त करने के लिए प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा। "

4- उक्त विनियमावली में, विनियम 21 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये उप विनियम 12। के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जाएगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1

विद्यमान उपविनियम

11। कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा-

निवृत्त होगा :

परन्तु किसी क्लेण्डर माह के प्रथम दिनांक से भिन्न किसी दिनांक को अधिवर्धिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी उस माह के अंतिम दिन को सेवा निवृत्त होगा।

स्तम्भ-2

राजद्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम

नियम 19 संशोधन

नियम 21 संशोधन

वर्धिता और निवृत्ति

12। यदि संप के हित में ऐसा करना उचित हो कि 60 वर्ष की आयु के पश्चात किसी कर्मचारी को निष्कास्य अधिक के नियम संविदा पर सेवा-योजिता किया जाय तो ऐसा करने की प्रबन्ध बिदेसक की यह इच्छा इस विनियम की किसी बात से प्रभावित हुई नहीं समझी जायगी ।

12। यदि संप के हित में ऐसा करना उचित हो कि 60 वर्ष की आयु के पश्चात किसी कर्मचारी को निष्कास्य अधिक के नियम संविदा पर सेवायोजिता किया जाय तो ऐसा करने की प्राधिकारी की यह इच्छा इस विनियम की किसी बात से प्रभावित हुई नहीं समझी जायगी ।

विनियम 34 का संशोधन

5- उक्त विनियमावली में, विनियम 34 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप विनियम 11। के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उप विनियम रख दिया जायगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान उपविनियम

11। नियुक्ति प्राधिकारी को उच्च में किसी सहकारी चीनी मिल, आसपनी, इकाई या संप के नियंत्रणाधीन किसी अन्य अधिष्ठान में या भारत के किसी अन्य स्थान में कर्मचारियों की नियुक्तियां करने और उन्हें किसी एक सहकारी चीनी मिल, आसपनी इकाई या अधिष्ठान से दूसरे में स्थानान्तरित करने की भी शक्ति होगी ।

स्तम्भ-2

साद्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम

11। प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी को किसी सहकारी चीनी मिल, आसपनी, इकाई या संप के नियंत्रणाधीन किसी अन्य अधिष्ठान में कर्मचारियों की तैनाती करने और उन्हें किसी एक सहकारी चीनी मिल, आसपनी, इकाई या अधिष्ठान से दूसरे में स्थानान्तरित करने की शक्ति होगी किन्तु सहायकार महाप्रबन्धक, आसपनी प्रबन्धक, मुख्य अभियन्ता, मुख्य रसायनज्ञ, मुख्य सेवाका मुख्य गन्ना विकास अधिकारी और समान पद धारण करने वाले अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगा ।

स्थानान्तरण

अनुसूची का संशोधन

6- उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विद्यमान अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायगी, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान अनुसूची

अनुसूची। विनियम 3 देखिये। संप के अधीन पदों का वर्गीकरण समूह '3'-उत्त वेतनमान वाले पद जिनका न्यूनतम 1000 रुपये। अपुनती धित। प्रतिमास हो ।

स्तम्भ-2

साद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची

अनुसूची। विनियम 3 देखिये। संप के अधीन पदों का वर्गीकरण समूह 'क'-उत्त वेतनमान वाले पद जिनका न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमास हो ।

4,000

समूह "ब"-उत्त वेतनमान वाले पद
जिनका न्यूनतम 500 रुपये प्रतिमास
या अधिक हो किन्तु 1000 रुपये
प्रतिमास से कम हो। अपुनरीक्षित।।

समूह "ग"-उत्त वेतनमान वाले पद प्रखि
जिनका न्यूनतम 350 रुपये प्रतिमास
या अधिक हो किन्तु 500 रुपये प्रति
मास से कम हो। अपुनरीक्षित।।

समूह "घ"-उपर्युक्त वर्गीकरणों में से
किसी के अन्तर्गत न आने वाले पद।

समूह "ब"-उत्त वेतनमान वाले पद जिनका
न्यूनतम 2200 रुपये प्रतिमास या अधिक
हो किन्तु 3000 रुपये प्रतिमास से कम हो।

समूह "ग"-उत्त वेतनमान वाले पद जिनका
न्यूनतम 950 रुपये प्रतिमास या अधिक हो
किन्तु 2200 रुपये प्रतिमास से कम हो।

समूह "घ"- ऐसे पद जो उपर्युक्त वर्गीकरण में
से किसी के अधीन न आते हों।

आज्ञा से,

। इम्मुनाथ ।

प्राधिकारी,

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड,
लखनऊ।

५२

संख्या- ॥ एससी/18-2-71/88 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निबन्धक गन्ना आपुक्त, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स समितिवाँ,
लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड, 9-ए,
राना प्रताप मार्ग, लखनऊ।
- 3- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रेशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी स्यान्तर
की एक प्रति के साथ इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनांक
31-12-1995 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विषयी परिशिष्ट के
भाग-4, खण्डक। में अवश्य प्रकाशित करें और गजट के 400 प्रतिवाँ
चीनी उद्योग अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शीघ्र उपलब्ध
करायें।

आज्ञा से,

। इम्मुनाथ ।

प्राधिकारी

उ० प्र० सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड,
लखनऊ।

५२